मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 19 /12/2022

क्र. एफ 16-10/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स अमृत पेपर्स प्रा. लि. द्वारा ग्राम बोदला, तहसील सरदारपुर, जिला धार में रूपये 139.15 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से क्राफ्ट पेपर निर्माण इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP23523) पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अंतर्गत यंत्र, संयंत्र तथा भवन में किए गए निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक एवं रोजगार गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरक्ति होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट**- परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क की छूट प्रदान की जाये।

4. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क**- परियोजना हेतु लीज पर ली गयी भूमि के पट्टाभिलेख के निष्पादन पर देय स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा की जाये।

5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2022) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ. क्र. एफ 16-10/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 19/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स अमृत पेपर्स प्रा. लि., 104, corporate House, 1st Floor, 169, R.N.T. Marg, Indore - 452001

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग